

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 12, गुरुवार, शाके 1940—अक्टूबर 4, 2018 Asvina 12, Thursday, Saka 1940- October 4, 2018

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 04, 2018

No. F. 2 (23) Vidhi/2/2018 - The following Act of the Rajasthan State Legislature Which received the assent of the Governor on the 1st day of October, 2018 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) ACT, 2018

(Act No. 17 of 2018)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of October, 2018]

An

Act

further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2018.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 13 of 1953.- In clause (9) of section 2 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953), the existing expression "bamboos," shall be deleted.

महावीर प्रसाद शर्मा, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रप-2)

अधिसूचना

जयप्र, अक्टूबर 04, 2018

संख्या प.2(23) विधि/2/2018:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्त्क के अनुसरण में 'दी राजस्थान फोरेस्ट (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2018 (एक्ट नं. 17 ऑफ 2018)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 17)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हुई] राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 2 के खण्ड (9) में विदयमान अभिव्यक्ति "बांस," हटायी जायेगी।

महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव।